शाहजहाँपुर पुलिस

प्रेस नोट दि0-15.02.24

थाना रोजा पुलिस द्वारा 03 शातिर चोरों को मय चोरी के माल किया रंगे हाथ गिरफ्तार।

श्री अशोक कुमार मीणा पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर, के कुशल निर्देशन , श्री संजय कुमार पुलिस अधीक्षक नगर,के निर्देशानुसार व श्री अमित चौरसिया क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण मे चलाये जा रहे **चोरी एवं लूट रोकथाम** हेतु सघन अभियान के क्रम मे थाना रोजा पुलिस द्वारा चोरी मे वांछित 03 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 14.02.2024 को अनिल कुमार सिंह पुत्र पुत्तन सिंह निवासी मढिया कालोनी थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर ने सूचना दी थी कि मेरी बहन के घर पर बाहर लगे कैमरे तथा रामगुलाम पुत्र भनजलाल के घर के बाहर खडे ओटो नं0 UP 27BT-1082 के टायर चोरी हो गये हैं। उक्त सूचना के सम्बंध में थाना रोजा पर मु0अ0सं0 103/2024 धारा 379 भादिव बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। बढते अपराध के मामलो की गंभीरता को देखते हुये थाना रोजा पुलिस टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुये अज्ञात चोरों की तलास मे प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव कुमार के नेतृत्व मे रोजा पुलिस ने घटनास्थल के आसपास सघन चेंकिग शुरु की। उक्त मुकदमे में चोरी गये कैमरा व ऑटो के टायर व वांछित चोरों के सम्बंध मे दिनांक 15.02.2024 को मुखबिर खास ने सूचना दी कि आपके मुकदमे से सम्बन्धित मुल्जिम मय सामान के डीसेन्ट न्यू पब्लिक हाई स्कूल के पीछे रेलवे ट्रेक के पास झाडियों के पास खड़े हैं, जो सामान बेचने की फिराक मे हैं। उक्त सूचना पर हम लोगो ने एकबारगी दबिश देकर तीनों व्यक्तियों को पकड़ लिया। पूछताछ पर तीनों ने अपना नाम 1. गौरव पुत्र रविन्द्र निवासी मठिया कालोनी थाना रोजा जिला शाहजहाँपुर 2. अभिषेक पुत्र सनील निवासी मठिया कालोनी थाना रोजा जिला शाहजहाँपुर 3. अमित पुत्र महेश निवासी मठिया कालोनी थाना रोजा जिला शाहजहाँपुर बताया। अभियुक्तगण के पास मे ही रखी बोरी मे 03 अदद पहिया तथा 02 अदद कैमरे CP PLUS के बरामद हुये। अभियुक्तगणों से बरामद माल मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित है। **मुकदमा उपरोक्त मे धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी कर** अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण :-

1. गौरव पुत्र रविन्द्र निवासी मठिया कालोनी थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 19 वर्ष।
2. अभिषेक पुत्र सुनील निवासी मठिया कालोनी थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 20 वर्ष।
3. अमित पुत्र महेश निवासी मठिया कालोनी थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 19 वर्ष।

पंजीकृत अभियोगः –

1.मु0अ0सं0 103/24 धारा 379/411 भादावि थाना रौजा शाहजहाँपुर।

बरामदगी :-

1. तीन अदद पहिया (Ralco Three Wheeler)
2. दो अदद कैमरे (CP PLUS)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. प्रभारी निरीक्षक रोजा श्री राजीव कुमार
2. उ0नि0 प्रांजल सिंह यादव थाना रोजा
3. हे0का0 ओमकार थाना रोजा
4. का0 राजन थाना रोजा

<u>विवरण पूछताछ</u> :-

पकड़े गये अभियुक्तगण से कड़ाई से पूछताछ की गयी तो तीनो ने बताया कि दिनांक 01.02.2024 की रात्रि को हम लोगों ने शराब पी रखी थी , नशे मे ही हम लोगों ने रात मे आटो के तीनो पहिये खोल लिये थे जो अनिल के घर के सामने खड़ा था। अनिल के घर के सामने लगो दो कैमरे जिन्हे हमने पकड़े जाने के डर से उन्हे भी खोल लिया था। हम लोग यह सामान बेचने की फिराक मे थे कि पुलिस ने हमे पकड़ लिया ।